

फॉर्म 15 (जी)

फॉर्म 15 (जी) धारा 197ए(1), धारा 197(1ए) और नियम 29(सी) देखें



आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए(1) और धारा 197ए(1ए) के तहत घोषणा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म न हो) द्वारा होगी

ग्राहक आईडी

भाग I

1. निर्धारित का नाम (घोषक)	2. निर्धारित का पैन नं.				
4. फ्लैट/घर/ब्लॉक सं.	5. परिसर का नाम	3. निर्धारण वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)			
8. रोड/स्ट्रीट/लेन	9. क्षेत्र/मुहल्ला	6. स्थिति			
11. नगर/शहर/जिला	12. राज्य	7. किस वार्ड/सर्किल में निर्धारण किया गया			
	13. पिन	10. एओ कोड (जिसके तहत पिछली बार निर्धारण किया गया)			
15. ईमेल	16. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.	क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेज कोड	एओ नं.
19. व्यवसाय/कारोबार का नाम		14. अंतिम निर्धारण वर्ष जिसमें निर्धारण हुआ			
21. आयकर के क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त (जूरीडिक्शनल चीफ कमिश्नर) या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का निर्धारण नहीं हुआ है)		17. मौजूदा वार्ड/सर्किल			
22. नीचे उल्लेखित स्रोतों से अनुमानित कुल आय:		18. आवासीय स्थिति (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के निहितार्थ में)			
		20. मौजूदा एओ कोड (यदि उपरोक्त के समान न हो)			
		क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेज कोड	एओ नं.
		क्षेत्र कोड	एओ प्रकार	रेज कोड	एओ नं.
		(कृपया प्रारंभिक बॉक्स को टिक करें)			
		अनुसूची I में निर्दिष्ट शेरों से लाभान्वित	<input type="checkbox"/>		
		अनुसूची II में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज	<input type="checkbox"/>		
		अनुसूची III में निर्दिष्ट राशियों पर ब्याज	<input type="checkbox"/>		
		अनुसूची IV में निर्दिष्ट यूनिट पर ब्याज	<input type="checkbox"/>		
		राष्ट्रीय बचत योजना से धारा 80सी(1)(ii) में निर्दिष्ट निकासी की राशि अनुसूची V में संदर्भित है	<input type="checkbox"/>		
23. पिछले वर्ष से अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में उल्लेखित आय शामिल की जानी है	<input type="checkbox"/>				

24. की जा रही घोषणा के संदर्भ में निवेश का विवरण:

अनुसूची I (उन शेरों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

शेरों की संख्या	शेरों की श्रेणी और प्रत्येक शेर का अंकित मूल्य	शेरों का कुल अंकित मूल्य	शेरों की विशिष्ट संख्या	दिनांक जब घोषक द्वारा शेर हासिल किए गए (dd/mm/yyyy)

अनुसूची II (उन प्रतिभूतियों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

प्रतिभूतियों का विवरण	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों का दिनांक (dd/mm/yyyy)	प्रतिभूतियों की राशि	दिनांक जब घोषक द्वारा प्रतिभूतियाँ हासिल की गई (dd/mm/yyyy)

अनुसूची III (घोषक द्वारा ब्याज पर दी गई राशियों का विवरण)

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे ब्याज पर राशि दी गई है	ब्याज पर दी गई वैसी रकमों की राशि	दिनांक जब ब्याज पर राशियाँ दी गई (dd/mm/yyyy)	वह अवधि जिसके लिए ब्याज पर वैसी रकम दी गई	ब्याज दर

अनुसूची IV (उन म्यूचुअल फंड यूनिटों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिटों की संख्या	यूनिटों की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों की विशिष्ट संख्या	यूनिटों के संबंध में आय

अनुसूची V (राष्ट्रीय बचत योजना से की गई निकासी का विवरण)

उस डाकघर का विवरण जहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के तहत खाता बनाए रखा गया है और खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (dd/mm/yyyy)	खाते से निकाली गई राशि

घोषणा / सत्यापन

*मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण है एवं उचित रूप में बताया गया है। *मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस फॉर्म (प्रपत्र) में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 60-64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल योग्य नहीं है। *मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि ऊपर कॉलम 22 में निर्दिष्ट *आयधायों सहित *मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर को परिकलित किया गया है जो निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए निल/शून्य होगा। *मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में निर्दिष्ट *मेरी/हमारी *आय उस अधिकतम राशि को पार नहीं करेगी जो आयकर के दायरे में नहीं है।

स्थान:.....
दिनांक:.....

.....
घोषक के हस्ताक्षर

भाग II (उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा घोषणा की गई है)

1. भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम येस बैंक लिमिटेड	2. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का पैन नं. AAACY2068D	
3. पूरा पता येस बैंक लिमिटेड, नेहरू सेंटर, 9वीं मंजिल, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए.बी. रोड, वर्ली, मुंबई-400018	4. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का टैन नं. MUMY02084F	
5. ईमेल	6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं. (22) 66699000	7. स्थिति चरलू कंपनी
8. दिनांक जब घोषणा की गई है (dd/mm/yyyy)	9. अवधि जिसमें लाभांश घोषित हुआ है या आय का भुगतान/जमा हुआ है	11. दिनांक जब आय का भुगतान/जमा हुआ है (dd/mm/yyyy)
12. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत लाभांश/निकासी (वापसी) की घोषणा, वितरण या भुगतान का दिनांक (dd/mm/yyyy) उपलब्ध नहीं	13. राष्ट्रीय बचत योजना का खाता संख्या जिससे निकासी की गई है उपलब्ध नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अग्रेषित.....

स्थान:.....
दिनांक:.....

भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट

- घोषणा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- *जो लागू नहीं है उसे हटा दें।
- *घोषणा धारा 197ए(1) के तहत एक व्यक्ति द्वारा और धारा 197ए(1ए) के तहत एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म से भिन्न) द्वारा की जा सकती है।
- *क्षमता/हेसियत सूचित करें जिसके आधार पर एक एचयूएफ, एओपी, आदि की ओर से घोषणा की जाती है।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक/घोषणाकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी हरेक पहलू से सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत विवरण देता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का हकदार होगा-
 - पच्चीस लाख रुपए से अधिक की कर चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ सात साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है;
 - अन्य किसी मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ दो साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिसे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि को पार करती हो।

शाखा द्वारा भरे जाने के लिए

60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों के लिए फॉर्म 15 (जी) हेतु चेकलिस्ट

मैंने निम्नलिखित तथ्य देख लिए हैं और पुष्टि कर दी है:	टिक करें
1. ग्राहक की आयु <60 वर्ष से कम है (यदि >=60 वर्ष है तो फॉर्म 15 एच भरें)	
2. ग्राहक की ग्राहक आईडी के लिए बैंक रिकॉर्ड में पैन अपडेट किया गया है	
3. खाता मेंटेनेंस फॉर्म के साथ पैन कार्ड की प्रति संलग्न (यदि सिल्वन में अपडेट नहीं हुआ है)	
4. ग्राहक ने (3) द्वारा संकेतित) छह स्थानों पर हस्ताक्षर किया है	

कर्मचारी का नाम.....
कर्मचारी का हस्ताक्षर.....

कर्मचारी कोड.....
दिनांक.....

शाखा की मोहर

फॉर्म 15 (जी)

फॉर्म 15 (जी) धारा 197ए(1), धारा 197(1ए) और नियम 29(सी) देखें

YES BANK

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 197ए(1) और धारा 197ए(1ए) के तहत घोषणा कर कटौती के बिना कुछ प्राप्तियों का दावा करने वाले एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति (जो कंपनी या फर्म न हो) द्वारा होगी

ग्राहक आईडी

भाग |

1. निर्धारित का नाम (घोषक)		2. निर्धारित का पैन नं.			
4. प्लेट/द्वार/ब्लॉक सं.		5. परिसर का नाम		3. निर्धारण वर्ष (जिसके लिए घोषणा की जा रही है)	
8. रोड/स्ट्रीट/लेन		9. क्षेत्र/मुहल्ला		6. स्थिति	
11.नगर/शहर/जिला		12.राज्य		7. किस वार्ड/सर्किल में निर्धारण किया गया	
		13.पिन		10. एओ कोड (जिसके तहत पिछली बार निर्धारण किया गया)	
15.ईमेल		16.टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं.		17. मौजूदा वार्ड/सर्किल	
19.व्यवसाय/कारोबार का नाम				18. आवासीय स्थिति (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के निहितार्थ में)	
21. आयकर के क्षेत्रीय मुख्य आयुक्त (जुरीडिकल वीफ कमिशनर) या आयकर आयुक्त (यदि पहले आयकर का निर्धारण नहीं हुआ है)				20. मौजूदा एओ कोड (यदि उपरोक्त के समान न हो)	
22. नीचे उल्लेखित स्रोतों से अनुमानित कुल आय:				क्षेत्र कोड एओ प्रकार रेंज कोड एओ नं.	
				14. अंतिम निर्धारण वर्ष जिसमें निर्धारण हुआ	
				17. मौजूदा वार्ड/सर्किल	
				18. आवासीय स्थिति (आयकर अधिनियम 1961 की धारा 6 के निहितार्थ में)	
				20. मौजूदा एओ कोड (यदि उपरोक्त के समान न हो)	
				क्षेत्र कोड एओ प्रकार रेंज कोड एओ नं.	
23. पिछले वर्ष से अनुमानित कुल आय जिसमें कॉलम 21 में उल्लेखित आय शामिल की जानी है					

(कृपया प्रासंगिक बॉक्स को टिक करें)

अनुसूची I में निर्दिष्ट शेरों से लाभान्वित

अनुसूची II में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर ब्याज

अनुसूची III में निर्दिष्ट राशियों पर ब्याज

अनुसूची IV में निर्दिष्ट यूनिट पर ब्याज

राष्ट्रीय बचत योजना से धारा 80सीटीए(2)(ए) में निर्दिष्ट निकासी की राशि अनुसूची V में संदर्भित है

24. की जा रही घोषणा के संदर्भ में निवेश का विवरण:

अनुसूची I (उन शेरों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

शेरों की संख्या	शेरों की श्रेणी और प्रत्येक शेर का अंकित मूल्य	शेरों का कुल अंकित मूल्य	शेरों की विशिष्ट संख्या	दिनांक जब घोषक द्वारा शेर हासिल किए गए (dd/mm/yyyy)

अनुसूची II (उन प्रतिभूतियों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

प्रतिभूतियों का विवरण	प्रतिभूतियों की संख्या	प्रतिभूतियों का दिनांक (dd/mm/yyyy)	प्रतिभूतियों की राशि	दिनांक जब घोषक द्वारा प्रतिभूतियाँ हासिल की गईं (dd/mm/yyyy)

अनुसूची III (घोषक द्वारा ब्याज पर दी गई राशियों का विवरण)

उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे ब्याज पर राशि दी गई है	ब्याज पर दी गई वैसी रकमों की राशि	दिनांक जब ब्याज पर राशियाँ दी गईं (dd/mm/yyyy)	वह अवधि जिसके लिए ब्याज पर वैसी रकम दी गई	ब्याज दर

अनुसूची IV (उन म्यूचुअल फंड यूनिटों का विवरण जो घोषक/घोषणाकर्ता के नाम से हैं और लाभदायक रूप से उसके स्वामित्व में हैं)

म्यूचुअल फंड का नाम और पता	यूनिटों की संख्या	यूनिटों की श्रेणी और प्रत्येक यूनिट का अंकित मूल्य	यूनिटों की विशिष्ट संख्या	यूनिटों के संबंध में आय

अनुसूची V (राष्ट्रीय बचत योजना से की गई निकासी का विवरण)

उस डाकघर का विवरण जहाँ राष्ट्रीय बचत योजना के तहत खाता बनाए रखा गया है और खाता संख्या	दिनांक जब खाता खोला गया (dd/mm/yyyy)	खाते से निकाली गई राशि

घोषणा / सत्यापन

*मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण है एवं उचित रूप में बताया गया है। *मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस फॉर्म (प्रपत्र) में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 60-64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल योग्य नहीं है। *मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि ऊपर कॉलम 22 में निर्दिष्ट *आयधायों सहित *मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर को परिकल्पित किया गया है जो निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए निल/शून्य होगा। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में निर्दिष्ट *मेरी/हमारी *आय उस अधिकतम राशि को पार नहीं करेगी जो आयकर के दायरे में नहीं है।

स्थान:.....

दिनांक:.....

(X)
घोषक के हस्ताक्षर

भाग II (उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा घोषणा की गई है)

1. भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम येस बैंक लिमिटेड	2. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का पैन नं. AAACY2068D	
3. पूरा पता येस बैंक लिमिटेड, नेहरू सेंटर, 9वीं मंजिल, डिरकवरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए.पी. रोड, वर्ली, मुंबई-400018	4. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का टैन नं. MUMY02084F	
5. ईमेल	6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं. (22) 66699000	7. स्थिति घरेलू कंपनी
8. दिनांक जब घोषणा की गई है (dd/mm/yyyy)	9. अवधि जिसमें लामांश घोषित हुआ है या आय का भुगतान/जमा हुआ है	11. दिनांक जब आय का भुगतान/जमा हुआ है (dd/mm/yyyy)
12. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत लामांश/निकासी (वापसी) की घोषणा, वितरण या भुगतान का दिनांक (dd/mm/yyyy) उपलब्ध नहीं	13. राष्ट्रीय बचत योजना का खाता संख्या जिससे निकासी की गई है उपलब्ध नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अर्पित.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट

- घोषणा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- *जो लागू नहीं है उसे हटा दें।
- *घोषणा धारा 197ए(1) के तहत एक व्यक्ति द्वारा और धारा 197ए(1ए) के तहत एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म से भिन्न) द्वारा की जा सकती है।
- *क्षमता/हेसियत सूचित करें जिसके आधार पर एक एचयूएफ, एओपी, आदि की ओर से घोषणा की जाती है।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक/घोषणाकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी हरेक पहलू से सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत विवरण देता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का हकदार होगा-
 - पच्चीस लाख रुपये से अधिक की कर चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ सात साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है;
 - अन्य किसी मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ दो साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिसे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि को पार करती हो।

डिरक्लेमर

- फॉर्म 15जी केवल 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (यदि आय >=60 वर्ष है तो फॉर्म 15एच भरें), प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी, व्यक्तियों के संघ, ट्रस्ट, एचयूएफ, आदि के लिए भरा जाना है
- बैंक के रिकॉर्ड में पैन विवरण अपडेट नहीं होने पर टीडीएस छूट मार्क नहीं किया जाएगा
- इस फॉर्म के जमा करने के दिनांक से टीडीएस छूट मार्क किया जाएगा
- पहले से ही काटा गया टीडीएस वापस नहीं होगा और आयकर विभाग से इसकी माँग की जानी होगी
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत के भीतर प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में एक नया फॉर्म 15जी सबमिट करने की जरूरत होगी
- फॉर्म 15जी को तीन प्रतियों में सबमिट किया जाना है
- बैंक में खोले गए प्रत्येक सावधि जमा के लिए फॉर्म 15जी सबमिट करने की जरूरत होगी
- बैंक, फॉर्म 15जी के देरी से या गलत या नहीं जमा करने के चलते उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
- मैं/हम पूरी तरह समझते हैं कि गलत पैन विवरण देने से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है और गलत पैन विवरण देने की वजह से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

हस्ताक्षर और दिनांक के साथ शाखा की मोहर

घोषणा / सत्यापन

*मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि ऊपर दिया गया विवरण *मेरी/हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार सही, पूर्ण है एवं उचित रूप में बताया गया है। *मैं/हम घोषणा करते हैं कि इस फॉर्म (प्रपत्र) में निर्दिष्ट आय आयकर अधिनियम 1961 की धारा 60-64 के तहत किसी भी अन्य व्यक्ति की कुल आय में शामिल योग्य नहीं है। *मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि ऊपर कॉलम 22 में निर्दिष्ट *आयधायों सहित *मेरी/हमारी अनुमानित कुल आय पर आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार कर को परिकल्पित किया गया है जो निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए निल/शून्य होगा। मैं/हम यह भी घोषणा करते हैं कि निर्धारण वर्ष के लिए प्रासंगिक को समाप्त पिछले वर्ष के लिए कॉलम 22 में निर्दिष्ट *मेरी/हमारी *आय उस अधिकतम राशि को पार नहीं करेगी जो आयकर के दायरे में नहीं है।

स्थान:.....

दिनांक:.....

(X)
घोषक के हस्ताक्षर

भाग II (उस व्यक्ति के लिए जिसके द्वारा घोषणा की गई है)

1. भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम येस बैंक लिमिटेड	2. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का पैन नं. AAACY2068D	
3. पूरा पता येस बैंक लिमिटेड, नेहरू सेंटर, 9वीं मंजिल, डिरकवरी ऑफ इंडिया, डॉ. ए.पी. रोड, वर्ली, मुंबई-400018	4. भाग II के कॉलम 1 में संकेतित व्यक्ति का टैन नं. MUMY02084F	
5. ईमेल	6. टेलीफोन नं. (एसटीडी कोड के साथ) और मोबाइल नं. (22) 66699000	7. स्थिति घरेलू कंपनी
8. दिनांक जब घोषणा की गई है (dd/mm/yyyy)	9. अवधि जिसमें लामांश घोषित हुआ है या आय का भुगतान/जमा हुआ है	11. दिनांक जब आय का भुगतान/जमा हुआ है (dd/mm/yyyy)
12. राष्ट्रीय बचत योजना के तहत लामांश/निकासी (वापसी) की घोषणा, वितरण या भुगतान का दिनांक (dd/mm/yyyy) उपलब्ध नहीं	13. राष्ट्रीय बचत योजना का खाता संख्या जिससे निकासी की गई है उपलब्ध नहीं	

मुख्य आयुक्त या आयकर आयुक्त को अर्पित.....

स्थान:.....

दिनांक:.....

भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का हस्ताक्षर

नोट

- घोषणा को तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- *जो लागू नहीं है उसे हटा दें।
- *घोषणा धारा 197ए(1) के तहत एक व्यक्ति द्वारा और धारा 197ए(1ए) के तहत एक व्यक्ति (कंपनी या फर्म से भिन्न) द्वारा की जा सकती है।
- **क्षमता/हेसियत सूचित करें जिसके आधार पर एक एचयूएफ, एओपी, आदि की ओर से घोषणा की जाती है।
- सत्यापन पर हस्ताक्षर करने से पहले, घोषक/घोषणाकर्ता को यह निश्चित कर लेना चाहिए कि घोषणा में दी गई जानकारी हरेक पहलू से सही और पूर्ण है। कोई भी व्यक्ति जो घोषणा में गलत विवरण देता है, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 277 के तहत उस पर मुकदमा चलाया जाएगा और दोष सिद्ध होने पर सजा का हकदार होगा-
 - पच्चीस लाख रुपये से अधिक की कर चोरी के मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम छह महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ सात साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है;
 - अन्य किसी मामले में, दोषी व्यक्ति को न्यूनतम तीन महीने की सश्रम कारावास की सजा होगी जिसे जुर्माने के साथ दो साल के लिए और आगे बढ़ाया जा सकता है।
- भाग I के कॉलम 22 में निर्दिष्ट आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति घोषणा स्वीकार नहीं करेगा जहाँ धारा 197ए की उपधारा (1) या उपधारा (1ए) में निर्दिष्ट वर्ग की आय की राशि या वैसी आय की राशि का कुल योग जिसे उस पिछले वर्ष के दौरान जमा या भुगतान किया गया है या जमा या भुगतान किया जाना है जिसमें उस आय को शामिल किया जाना है, और जो कर के दायरे में नहीं आने वाली अधिकतम राशि को पार करती हो।

डिरक्लेमर

- फॉर्म 15जी केवल 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्तियों (यदि आय >=60 वर्ष है तो फॉर्म 15एच भरें), प्रोप्राइटरशिप, सोसाइटी, व्यक्तियों के संघ, ट्रस्ट, एचयूएफ, आदि के लिए भरा जाना है
- बैंक के रिकॉर्ड में पैन विवरण अपडेट नहीं होने पर टीडीएस छूट मार्क नहीं किया जाएगा
- इस फॉर्म के जमा करने के दिनांक से टीडीएस छूट मार्क किया जाएगा
- पहले से ही काटा गया टीडीएस वापस नहीं होगा और आयकर विभाग से इसकी माँग की जानी होगी
- वित्तीय वर्ष की शुरुआत के भीतर प्रत्येक नए वित्तीय वर्ष में एक नया फॉर्म 15जी सबमिट करने की जरूरत होगी
- फॉर्म 15जी को तीन प्रतियों में सबमिट किया जाना है
- बैंक में खोले गए प्रत्येक सावधि जमा के लिए फॉर्म 15जी सबमिट करने की जरूरत होगी
- बैंक, फॉर्म 15जी के देरी से या गलत या नहीं जमा करने के चलते उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम या नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं होगा
- मैं/हम पूरी तरह समझते हैं कि गलत पैन विवरण देने से आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 272बी के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है और गलत पैन विवरण देने की वजह से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं है।

हस्ताक्षर और दिनांक के साथ शाखा की मोहर